वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता : क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं?*

एच.आर. खान

प्रस्तुतीकरण

1. बैंकिंग तथा वित्त के सामयिक विषयों पर बैंकरों तथा अनुसंधानकर्त्ताओं के ऐसे सम्मेलन में भाग लेना सदा ही एक हर्ष का विषय होता है, परन्तु इसमें बोलने के लिए किसी ऐसे विषय का चयन करना जो या तो 'एकदम नया' हो या अत्यन्त व्यापक प से संशोधित हो, तो ऐसे मंच पर बोलना एक चुनौती ही होता है। मैं इस सम्मेलन के आयोजकों, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के सीएमडी तथा भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे सामयिक विषय पर अपने विचार आपसे बांटने का अवसर प्रदान किया जिसने न केवल भारत बल्कि विश्व के नीति निर्माताओं का ध्यान भी हाल ही में अपनी ओर आकर्षित किया है।

2. रिज़र्व बैंक, भारत में वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रयास कर रहा है। इस संस्था का हिस्सा होने के कारण मुझे एक विशाल बौद्धिक तथा परिचालनात्मक कैनवस पर कार्य करने का अवसर मिला है। वस्तुतः इसीलिए मैं आर्थिक मुद्दों के इन दो महत्त्वपूर्ण आयामों पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित हुआ जिन्होंने गत एक दशक में पूरे विश्व में वित्तीय क्षेत्र के नीतिगत स्पेस का परिदृश्य ही बदल दिया है। आप जितना इसके सान्निध्य में आते जाएंगे उनकी पारस्परिक अनन्यताओं के पर्दे भी उतनी ही तेजी से हटते जाएंगे। अब मैं बताऊँगा कि कैसे?

3. समानता तथा स्थिरता के साथ समावेशित वृद्धि के सिद्धान्त पर आधारित वित्तीय समोवशन की महत्ता ने हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माताओं का ध्यान फिर से आकर्षित किया है। अब यह काफी तेज़ी से स्वीकार किया जा रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि तथा वित्तीय साध्यता (वायेबिलिटी), लाभप्रदता तथा स्पर्धात्मकता से संबंधित सभी क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सुधार के बावजूद "गिलास अभी भी आधा ही भरा है"। यह चिंता का विषय बना हुआ है कि बैंक अभी भी जनसंख्या के बड़े हिस्से खासकर समाज के कमज़ोर तबकों को आधारभूत बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं के दायरे में ला पाने में समर्थ नहीं हो पाए हैं।

4. हाल के वैश्विक वित्तीय संकट ने भी वित्तीय स्थिरता को ध्यानाकर्षण का केन्द्र बना दिया है। बहस का दायरा अब काफी बड़ा हो चला है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता की परिभाषा तथा विकास एवं कल्याण हेतु वित्तीय स्थिरता का प्रभाव भी शामिल हो गया है। इससे हमें कई शिक्षाएं मिली हैं। पहली तो यह कि कीमतों की स्थिरता तथा बृहत् आर्थिक स्थिरता होने के बावजूद भी स्थिरता, संकट में घिर सकती है। दूसरे वित्तीय स्थिरता को आर्थिक नीति के अस्पष्ट परिवर्तनीय कारक (इंप्लिसिट वेरियेबल) से स्पष्ट वेरियेबल बनाना चाहिए तथा तीसरे यदि संसार के किसी भी हिस्से में वित्तीय स्थिरता को ख़तरा होता है तो समझिए संसार में हर जगह वित्तीय स्थिरता को ख़तरा होता है। चौथी, और सबसे महत्त्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जब वित्तीय अस्थिरता सर्वाधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को भी चोट पहुंचा सकती है तो फिर ग़रीब तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को जो क्षति पहुंचेगी वह तो काफी गंभीर होगी। कम आमदनी वाले लोगों के पास चूंकि जोखिम से मुकाबला करने लायक कुछ नहीं होता इसलिए वित्तीय स्थिरता के कारण उनका तो जीवनयापन ही कठिनाई में पड़ सकता है। इसलिए हमारे जैसे देशों के लिए तो यह बहुत ही जरी है कि जैसे-जैसे हम अपने वित्तीय क्षेत्र को और गहरा तथा व्यापक बनाएं और विश्व के साथ जुड़ाव पैदा करें, वैसे-वैसे हम अपनी वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने पर भी अपना विशेष ध्यान केन्द्रित करें[1] ।

5. हाल के वर्षों में घटी घटनाओं ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता का अभिनिवेश, कोई नीतिगत विकल्प या ऐच्छिकता नहीं, बल्कि नीतिगत अनिवार्यता है। इस

* भारतीय बैंक संघ तथा इंडियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा 4 नवम्बर 2011 को चेन्नै में आयोजित बैन्कॉन 2011 में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर श्री.एच.आर.खान द्वारा दिया गया भाषण। इस प्रेजेन्टेशन को तैयार करने में डॉ. रवि एन. मिश्रा, श्रीमती डिम्पल भांदिया, श्रीमती वी. विनिता तथा श्री सुरजीत बोस द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान के लिए वक्ता उनका आभार प्रदर्शन करते हैं।

[1] वित्तीय स्थिरता मुद्दे और चुनौतियाँ, डी. सुब्बाराव, सितम्बर, 2009

निष्कर्ष से निकली प्रमुख चुनौतियाँ है कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए अर्थात् समाज के बड़े तबके को बुनियादी वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को कोई चोट न पहुंचे। इससे एक ज़रूरी सवाल उभरता है और वह यह है कि औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक और अधिक मात्रा में पहुंचने की क्रिया, वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने की ओर लक्ष्यित नीतियों के साथ तालमेल के साथ कार्य करती है, या इसके विपरीत कार्य करती है और वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाती है। अर्थात् क्या वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या दो भिन्न-भिन्न लक्ष्य?

6. इनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनपर मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूंगा कि क्या वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता का सहअस्तित्व होना चाहिए और लम्बी अवधि में यह कल्पना भी बड़ी कठिन होगी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह सके। आगे मैं उन रास्तों की चर्चा करूंगा कि जहां वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा साथ ही उन रास्तों की भी, जहां कि, वे एक दूसरे के विरोधी होते हैं और परस्पर विपरीत कार्य करते हैं।

फिर मैं यह बताऊँगा कि कैसे एक समर्थनकारी विनियामक फ्रेमवर्क, ग्राहक सुरक्षा की प्रभावी नीतियों, तथा अधिक वित्तीय जागरूकता और साक्षरता का योग, वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता के बीच एक सम्मिलन पैदा कर सकता है। अंत में मैं यह बताऊँगा कि कैसे और अधिक वित्तीय समावेशन लाने के रिज़र्व बैंक के प्रयासों के साथ, वित्तीय स्थिरता के विचार भी जुड़े हैं।

वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता - अधिदेशात्मक सह - अस्तित्व

7. वित्तीय स्थिरता तथा वित्तीय समावेशन के बीच संबंध स्थापित करते समय मेरा पहला विचार यह है कि दोनों में सह-अस्तित्व होना चाहिए। वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के बिना वित्तीय समावेशन कठिन है क्योंकि जब सामाजिक-आर्थिक प्रणाली का एक बड़ा भाग वित्तीय रूप से अनावेशित हो तो निरन्तर वित्तीय स्थिरता की कल्पना करना ही कठिन है। इसे मैं आगे स्पष्ट करता हूँ।

8. वित्तीय समावेशन समिति ने वित्तीय समावेशन की परिभाषा इस प्रकार दी है, *समाज के सुभेद्य समूहों, जैसे - कमजोर वर्गों और कम आय वाले वर्गों की पहुंच, उनकी जरूरत के अनुसार उचित लागत पर, वित्तीय सेवाओं तथा समय पर पर्याप्त ऋण तक सुनिश्चित करवाने की प्रक्रिया*[2] । इसका प्रमुख आशय है - ऐसा बैंक खाता जिसमें जमाराशि बीमा हो, ऐसे ऋण तक पहुंच जिसे ले सकने की समर्थता हो, तथा भुगतान प्रणाली।

9. हाल के वर्षों में, समूचे विश्व में उच्चतर वित्तीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण किन्तु धीमी प्रगति हुई है। एडीबी वर्किंग पेपर में[3] लगाए गए अनुमान के अनुसार अफ्रीका, कीनिया ने मोबाइल फोन के जरिए भुगतान करके वित्तीय समावेशन की एक दिलचस्प प्रक्रिया शुरू की है। पेरू तथा बोलीविया जैसे लैटिन अमेरीकन देशों ने सूक्ष्म वित्त के लिए काफी अच्छे विनियम बना कर लागू करने के प्रयास किए हैं। इन दो देशों में गत सात वर्षों में काफी तेज़ वृद्धि हुई है तथा औपचारिक वित्तीय प्रणाली में 6 मिलियन और ग्राहकों को शामिल किया गया है। ब्राज़ील के नीतिनिर्माताओं ने बैंकों में खुदरा एजेन्ट बनाकर 5,500 से अधिक नगरपालिकाओं को इनमें शामिल कर लिया है। कम लागत वाले इस नए डिलीवरी चैनल से केवल 6 वर्षों में ही 12 मिलियन ग्राहकों को औपचारिक वित्तीय सेवा क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। लैटिन अमरीका ने भी लाभार्थियों को औपचारिक वित्त से जोड़ने के लिए 'सशर्तनकद अंतरणों को' सरल बैंक खातों में बदल कर काफी संभावनाएं दिखाई हैं और सरकार की डिलीवरी लागत में भी कमी की है। अंतरण चुनौतियों ने ब्राज़ील में एजेन्टों के प्रयोग को प्रेरित किया। मेक्सिको में लाभार्थियों ने बचतों और निवेश में वृद्धि की तथा 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों ने बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग प्रारंभ कर दिया।

10. वित्तीय समावेशन से होने वाले लाभों का सबको ज्ञान है और ये सुदस्तावेज़ित भी हैं । यदि वित्तीय समावेशन, आर्थिक समावेशन के व्यापक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है, तो इससे न केवल वित्तीय स्थितियां सुधरेंगी बल्कि, निर्धन और सुविधारहित लोगों की जिंदगियों का स्तर भी ऊपर उठेगा। अफोर्डेबल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच से, निर्धन देहाती लोगों की, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोज़गार के अवसर बनेंगे जिससे कि अर्थव्यवस्था पर एक संभावित गुणक प्रभाव (मल्टिप्लायर इफेक्ट) पड़ेगा। इससे देहाती परिवारों के हाथ में पैसा आएगा जिससे वे बचत कर सकेंगे और परिणामस्वरूप बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए जमाराशि आधार बढ़ेगा। इससे सरकार को सामाजिक विकास के लाभों और सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के खाते में डालना संभव होगा जिससे समाज कल्याण योजनाओं में लीकेज और पिलफरेज रुकेगी। इस प्रकार वित्तीय समावेशन आर्थिक वृद्धि के लिए मौद्रिक ईंधन का

[2] वित्तीय समावेशन समिति द्वारा दी गई परिभाषा (अध्यक्ष : सी. रंगराजन, 2008) ।

[3] हैनिंग, आल्फ्रेड तथा स्टीफन जान्से (2010) *'फाइनेन्शियल इन्क्ल्यूज़न एण्ड फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी : करंट पॉलिसी इश्यूज़'*, एडीबीआई वर्किंग पेपर सीरीज़ सं.259 दिसम्बर ।

कार्य करेगा और समावेशित वृद्धि लाने में भी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्तियों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, जो इस समय इन सेवाओं तक पहुंच नहीं रखते हैं, यह एक ऐसा उद्देश्य होगा जो कि समावेशित वृद्धि की लोकोन्मुख परिभाषा के समनुरूप होगा जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था और समाज, धनी-निर्धन, ग्रामीण तथा शहरी लोगों तथा एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच जो खाई है, उसे पाटना है।

11. विश्व बैंक विकास संकेतकों के विश्लेषणों से पता चलता है कि वित्तीय पहुंच तथा आर्थिक विकास के बीच एक मजबूत कड़ी है (इसे प्रति 100,000 वयस्कों पर वाणिज्य बैंक शाखाओं तथा प्रति 1,000 वयस्क जमाराशियों (डिपॉज़िट्स) के संदर्भ में मापा गया है)। अनुभवजन्य साक्ष्य से इंगित होता है कि जिन मुल्कों में शाखाओं की संख्या तथा वाणिज्य बैंकों के डिपॉज़िट्स अधिक है उनमें आय का स्तर भी विशिष्ट रूप से उठा है। प्रति 1,00,000 वयस्कों पर अधिक संख्या में बैंक शाखाएं तथा प्रति 1,000 वयस्कों पर अधिक संख्या में डिपाज़िट्स, कम और मध्यम आय वर्गों वाले देशों के मुकाबले अधिक आय वाले देशों में अधिक पाए गए। यद्यपि कारण-प्रभाव-संबंध, विस्तृत अनुसंधान का विषय हो सकता है मगर यह साक्ष्य तो अनुभवजन्य है कि जिन देशों में वित्तीय पहुंच अधिक होती जाती है उन देशों में आय का स्तर भी क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है।

12. जैसे वित्तीय समावेशन के बिना निरंतर वित्तीय स्थिरता की कल्पना करना कठिन है, खास तौर पर दीर्घावधि में, वैसे ही जब तक बैंक और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदाता मजबूत न हों, वित्तीय बाज़ार सही कार्य न कर रहे हों, तथा वित्तीय बाज़ार का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ न हो, तब तक, वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में नीतिगत प्रयासों की सफलता की कल्पना करना भी कठिन है। हाल ही की विश्व बैंक की एक रिपोर्ट[4] में दिखाया गया है कि वैश्विक वित्तीय संकट गहराने के परिणामस्वरूप, 2009 में लगभग 60 प्रतिशत अर्थव्यवस्थाओं ने, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में, सिकुड़न का अनुभव किया। विश्व भर में डिपॉज़िट्स और ऋणों का संकुचन हुआ जिसमें डीजीपी से डिपॉज़िट वैल्यू के अनुपात में 12 प्रतिशत की मीडियन गिरावट आई तथा जीडीपी से ऋणों के मूल्य के अनुपात में 15 प्रतिशत की मीडियन घटौती हुई।

वाणिज्य बैंकों की स्थिति

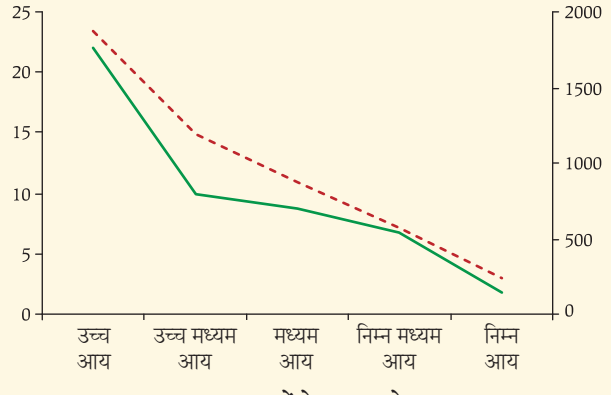

स्रोत: विश्व बैंक विकास संकेतक 2010, विश्व बैंक

13. मैंने चर्चा की है कि यदि वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता में से किसी भी लक्ष्य के लिए नीतिगत उपायों को थोड़ी बहुत सफलता भी पानी है तो वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता, दोनों को सह-अस्तित्व से जीने की ज़रूरत होगी। अब मैं अपने उसी प्रश्न पर आता हूँ जिससे मैंने शुरू किया था - क्या वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और परस्पर एक दूसरे को शक्तिवान बनाते हैं या फिर ये दो असदृश्य लक्ष्य हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ हैं और एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। असल में ऐसे कई रास्ते हैं जिनमें वित्तीय समावेशन, वित्तीय प्रणाली को और अधिक स्थिर तथा मजबूत बनाए रखने में योगदान कर सकता है।

वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता : तालमेल से कार्य

14. सर्वप्रथम तो वित्तीय समावेशन, किये जाने वाले लेन-देनों, विभिन्न सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों, नए निर्मित जोखिमों और संभवतः उन संस्थाओं जो इस नव-निर्मित अथवा विस्तारित बाज़ारों में परिचालन करती हैं, आदि के संबंध में वित्तीय प्रणाली की बनावट में बदलाव को सुगम बना कर, बचतों और निवेश के बीच मध्यवर्तन की प्रक्रिया की क्षमता में सुधार ला सकता है। जैसे-जैसे वित्तीय क्षेत्र का तुलनपत्र और अधिक विविधीकृत होगा तथा आर्थिक एजेंटों के और व्यापक स्पैक्ट्रम को शामिल करेगा, वैसे-वैसे, एक अधिक रेज़ीलिएन्ट अर्थव्यवस्था बनाने में इसका योगदान बढ़ता जाएगा।

15. दूसरे, वित्तीय संस्थानों, खास तौर पर बैंकों के लिए, वित्तीय समावेशन से डिपॉज़िट्स का खुदरा तथा अधिक स्थिर आधार बनाने में मदद मिलेगी। जैसा कि हाल ही के वैश्विक संकट ने भी दर्शाया है, उधार की निधियों पर भरोसा करने की बजाय, निधियों का स्थिर खुदरा

[4] विश्व बैंक समूह, 2010 फाइनेन्शियल एक्सेस : *'द स्टेट ऑफ फाइनेन्शियल इन्क्लूजन थ्रू द क्राइसिस'* कान्सलटेटिव ग्रुप टू असिस्ट द पूअर (सीजीएपी)।

आधार, वित्तीय संस्थाओं की मज़बूती तथा रेज़ीलिएन्स को बढ़ा सकता है तथा आय में उतार-चढ़ाव को कम कर सकता है। कम आय बचतकर्त्ता तथा उधार लेने वाले, जमा राशियां रखने तथा उधार लेने, दोनों के संदर्भ में बिजिनेस चक्र में स्थिर वित्तीय व्यवहार बनाए रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए सिस्टेमिक संकटों के दौरान, कम आय वाले ग्राहकों से तो निरन्तर धन आता है जबकि क्रेडिट के अन्य स्रोत सूख जाते हैं और उन्हें पुन: उपयोग में लाना कठिन हो जाता है। इसीलिए जहां तक स्थिर जमाराशियों का सवाल है छोटे ग्राहक ही बड़े अवसर प्रदान करते हैं। ऐसी जमाराशियों के अभाव में वित्तीय संस्थाओं को निरन्तर ऋण वितरण करने में कठिनाई आ सकती है । इस ऋण सरणी में क्षमता है कि वह स्थानीय अर्थव्यवस्था पर संकट से पड़ने वाले प्रभाव का मुकाबला कर सके।

16. तीसरे, वित्तीय समावेशन औपचारिक वित्तीय प्रणाली में अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न घटकों की गुरुतर सहभागिता को सुगम बनाता है। बड़ी संख्या में अनौपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति, मौद्रिक नीति के ट्रांसमिशन में रुकावट डाल सकती है क्यों कि वित्तीय रूप से अनावेशित घरों का एक बड़ा घटक, तथा छोटे कारोबार, वित्तीय निर्णयों से स्वयं को स्वतंत्र कर लेते हैं और केन्द्रीय बैंक के मुद्रा संबंधित नीतिगत एक्शन्ज़ से अप्रभावित रहते हैं, जैसे-जैसे गुरुतर वित्तीय समावेशन के जरिए औपचारिक वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ेगा वैसे-वैसे मौद्रिक नीति संचारण को अधिक प्रभावी होने के कारण, एक महत्त्वपूर्ण सकारात्मक बाध्यता प्राप्त होगी।

17. चौथे, चूंकि वित्तीय समावेशन द्वारा लोग, नकद अर्थव्यवस्था से बैंक खाता व्यवस्था में आएंगे, इसलिए लेनदेन की मॉनीटरिंग सुगम हो जाएगी और एएमएल/सीएफटी (अवैध धन को वैध बनाने को रोकना तथा आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण को रोकना) संबंधी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में भी मदद मिलेगी जिससे संदिग्ध लेन-देनों पर निगरानी रख जा सकेगी और अर्थव्यवस्था के अधिकांश वित्तीय लेनदेनों की रिपोर्टिंग भी आसान हो पाएगी। 'काले धन को वैध बनाने तथा आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण को रोकने के उपाय तथा वित्तीय समावेशन' पर हाल में गठित वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) गाइडेन्स[5] में निष्कर्ष निकाला गया है कि वित्तीय अनावेशन से एएमएल/सीएफटी की व्यवस्था की प्रभावोत्पादकता कम होती है। इसलिए यह सिफारिश की गई कि जब एएमएल/सीएफटी व्यवस्था की प्रभावोत्पादकता का आकलन किया जाए तो देश के वित्तीय समावेशन के स्तर तथा वित्तीय समावेशन में विस्तार लाने के प्रयासों पर भी विचार किया जाए।

18. पांचवें, घर-परिवारों, छोटे कारोबारियों तथा कुछ हद तक कारपोरेट सेक्टर की भी स्थिति सुधार कर वित्तीय समावेशन वित्तीय स्थिरता बढ़ाने में योगदान दे सकता है। सुधरे आर्थिक लिंकेजों, महंगे अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता घटा कर, तथा भुगतान करने और लेने की योग्यता में सुधार लाकर, हाउसहोल्ड क्षेत्र के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। इससे होनेवाले लाभों को इसलिए अतिशयोक्ति नहीं माना जा सकता क्योंकि घरपरिवार क्षेत्र की, बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच न बनने से, नुकसान कहीं ज्यादा हो रहा है। बैंकिंग सेवाओं तक न पहुंचने से, सरकारी पैसा प्राप्त करने, या अदा करने या फिर नियोजित खर्चों अथवा आपातकाल के लिए नकद बचत इकट्ठी करने में घरेलू क्षेत्र की योग्यता पर असर पड़ता है। जिनके पास नकदी ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता उनको सुरक्षा का जोखिम भी होता है। ऐसी पहुंच से भुगतान पर लागत भी कम आती है। सामाजिक लाभों में, चोरी से होनेवाली हानि से सुरक्षा, सामाजिक अंतरणों एवं अन्य धन-प्रेषणों (कर तथा लाभ धन प्रेषणों सहित) के लिए सुधरा हुआ तंत्र, तथा देहाती और वंचित समुदायों के लिए सुधरे हुए आर्थिक लिंकेज, शामिल हैं[6] । बचत के वाहन तक पहुंच का अभाव या उसकी अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप घरपरिवारों को, खासकर कम आय वाले परिवारों को, महंगा अल्पावधि कर्ज़ लेने को मजबूर होना पड़ सकता है। हमारे देश में ऐसे सैंकड़ों उदाहरण हैं जहाँ किसानों ने ऊँची ब्याज दरोंवाला कर्ज़ लिया और वे कर्ज़ के जाल में फंसते चले गए जब कि घरों की बढ़ी हुई लीवरेज का वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव, सूक्ष्म वित्त सेक्टर में हाल के संकट से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ।

19. वित्तीय समावेशन न केवल वित्त तक पहुंच में सुधार ला सकता है बल्कि उस सेवा की लागत और गुणवत्ता में भी, जो छोटे कारोबारी, बैंकों से प्राप्त करते हैं। ये कारक, इन कारोबारों तथा अर्थव्यवस्था में लाभप्रदता और खुशहाली की कुंजी है। शोध ने बताया है कि बढ़ी हुई औपचारिक बचतों से क्रेडिट की लागत को घटाने में और कारोबार बढ़ाने में मदद मिलती है, उदाहरणार्थ - कम लागत वाले डिपाज़िट्स की बढ़ती उपलब्धता से। इससे संपार्श्विक लाभ होता है जो छोटे तथा बड़े कारोबारों की रेज़ीलिएन्स में सुधार के रूप में दृष्टिगोचर होता है।

20. छठा, अधिकतर मामलों में जनसंख्या के बड़े हिस्से को लगातार औपचारिक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की परिधि में लाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप, अभिनव समाधान तथा आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं

[5] *'धनशोधन का निरोध तथा आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए उपाय तथा वित्तीय समावेशन'* पर एफएटीएफ गाइडेन्स, जून 2011

[6] हॉकिन्स पी. (2010) *'फाइनेन्शियल एक्सेस एण्ड फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी'*- फीजिबिलिटी लिमिटेड साउथ अफ्रीका फॉर बीआईएस।

का नियोजन भी सामने आया है। इन वित्तीय अभिनव प्रयासों में लागत घटाने की क्षमता है और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की समग्र क्षमता तथा वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने में ये प्रयास काफी योगदान देंगे - ये द्रुततर सूचना संचार तथा वित्तीय बाज़ारों की अधिक कार्यकुशलता के जरिए, मौद्रिक नीति के ट्रांसमिशन की क्षमता में सुधार लाने में भी योगदान देंगे। निस्संदेह वित्तीय नवोन्मेष तथा आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएं, अपने साथ जोखिम भी लेकर आती हैं जो वित्तीय स्थिरता के समग्र पॉलिसी फ्रेमवर्क के सामने चुनौतियाँ खड़ी कर सकती हैं। परन्तु इसके बारे में थोड़ी बाद में चर्चा करूंगा।

21. अंत में वित्तीय समावेशन सावधानीपूर्वक चलाई गई नीतियों के ज़रिए आय असमानताओं को दूर कर सकता है तथा अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटकर, सामाजिक और राजनीतिक स्थायित्व ला सकता है।

वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता : आमने-सामने

22. ऐसा नहीं है कि अधिक वित्तीय समावेशन से वित्तीय स्थिरता को कोई जोखिम नहीं होता। खुदरा निवेशकों को सेवाएं प्रदान करने वाली और अंततः वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ानेवाली वित्तीय संस्थाएं भी, वित्तीय अस्थिरता का स्रोत हो सकती हैं, जैसाकि हमने 1980 में अमरीका में बचत और ऋण संकट के समय देखा।

23. इसी तरह का एक और उदाहरण हाल में अमरीका में सबप्राइम बाज़ारों में आया संकट है। नीतिनिर्माताओं ने वित्तीय समावेशन के साधन के रूप में सबप्राइम उधारकर्त्ताओं को मार्केटिंग की वकालत की है[7]। पश्चदृष्टि से देखा जाए तो यह साफ प्रतीत होगा कि इस प्रकार क्रेडिट के अति-प्रसार से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता पर असर की संभावना बनी है और इसी से वित्तीय भंगुरता के बीज गिरे हैं, जिससे अंततः वित्तीय अस्थिरता पैदा हुई। विनियामक और सरकारी बचाव से हालत और भी खराब हो सकती है जिससे लक्ष्य वर्ग के बीच क्रेडिट संस्कृति दूषित होने की और भी संभावनाएं बनती हैं। जैसे कि प्रो. रघुराम राजन[8] ने प्रतिपादित किया है, गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को पाटने के लिए 'ईज़ी क्रेडिट', पुनर्वितरण का एक महंगा तरीका साबित हो सकता है तथा वित्तीय क्षेत्र के बगल में एक "फॉल्ट लाइन" बना सकता है जहां काफी तनाव खड़े हो सकते हैं; जो सिस्टम में "अस्थिरता" पैदा कर सकते हैं जैसे हाल ही में सब प्राइम संकट के समय हुई थी।

24. सहकारी बैंकों, जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों - जिन्हें कि गरीबों और बिना बैंक सुविधा वालों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही बनाया गया है - जैसी स्थानीय संस्थाओं के साथ हमारे तजुर्बों ने भी, कमज़ोर गवर्नेंस कनेक्टिड लेंडिंग, भौगौलिक धनत्व- जिससे प्राकृतिक आपदाओं तथा डाउनटर्न्स के प्रति भेद्यता बनती है, आदि के ख़तरों को ही रेखांकित किया है। सूक्ष्मवित्त उद्योग के साथ हमारा हाल का अनुभव एक ऐसा ही अन्य उदाहरण है कि जो संस्थाएं वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित कर रही हैं, वित्तीय दबावों की बजह से उनका स्वयं का अस्तित्व ही ख़तरे में पड़ गया। इसलिए कम विकसित और कम-आय-वाले बाज़ारों में कार्य करने वाली वित्तीय संस्थाओं के जोखिम को भलीभांति समझने की जरूरत है।

25. सबसे पहले तो इन मार्केट्स में कम आय वाले ग्राहक काफी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, जिससे परिचालन लागतों पर बोझ पड़ता है। दूसरे ये सेगमेन्ट्स, जानकारियों संबंधी कमियों से जुड़े होते हैं और अधिकांश उधारकर्त्ता संपार्श्विक प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं अथवा चुकौतियों का पर्याप्त ट्रैक, रिकॉर्ड प्रदान नहीं कर पाते। तीसरे, जो वित्तीय संस्थाएं, इस फील्ड में पहली बार प्रवेश करती हैं, उन्हें इस नए कारोबार के व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं के साथ सामंजस्य बिठाने में काफी लागत वहन करनी पड़ती है। चौथे, लोग अपने अवैध धन को वैध बनाने तथा साथ ही, आतंकी गतिविधियों की फंडिंग के लिए भी, वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे और भी बल युक्त बनाया जा सकता है यदि वित्तीय पहुंच के विस्तार के लिए केवाईसी मानदण्डों में छूट के जरिए, इन्हें अत्यधिक विनियामक नरमी (फोरबियरेन्स) अधिक मात्रा हाइफ्रीक्वेन्सी वाले ट्रांज़ेक्शन्ज पर भी लागू कर दिया जाए। जबकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधिक वित्तीय समावेशन से बड़ी संख्या में संदिग्ध लेन-देन की मॉनीटरिंग करने में तो सुविधा मिलेगी, मगर भुगतान सेवाओं के उदय, खासकर व्यक्ति से व्यक्ति को धन प्रेषण की सुविधा जिसे कि बड़ी संख्या में खुदरा ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दी जा सकती है, उससे गैर-कानूनी गतिविधियों के भी अवसर खुलेंगे। इसके विपरीत वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लक्ष्य में एएमएल-सीएफटी अपेक्षाओं द्वारा प्रस्तुत कुछ चुनौतियाँ भी हैं। अतः एक एटीएफ गाइडेन्स कहती है कि, *"वित्तीय इन्टेग्रिटी तथा वित्तीय समावेशन के*

[7] कोलार्ड, एस. तथा केम्पसन ई. (2005), *एफोर्डेबल क्रेडिट : द वे फॉरवार्ड, यॉर्क :* जोसेफ राउनट्री फाउंडेशन।

[8] राजन जी. रघुराम (2010), *''फाल्ट लाइन्स : हाउ हिडन फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रेटेन द वर्ल्ड इकॉनोमी''*।

बीच के नेक्सस तथा इन दो उद्देश्यों के बीच क्रॉस-रीइन्फोर्समेन्ट को भी ध्यान में रखने" की ज़रूरत है।

26. पांचवां, बैंकों द्वारा अपने कार्यों की आउटसोर्सिंग, जिसमें वित्तीय समावेशन भी शामिल है, से भी प्रतिष्ठात्मक, वित्तीय तथा फाइडेलिटी संबंधी जोखिम, पैदा हो सकते हैं, जिससे संस्था तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिति पर असर पड़ सकता है[9] । विशेषकर आउटसोर्सिंग से जुड़ी प्रतिष्ठात्मक जोखिम, न केवल आउटसोर्स किये गए कार्यों, बल्कि यदि आउटसोर्स्ड एजेंटों ने कोई गलत काम किया है,तो, समूचे बैंक के कार्यों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि आम तौर पर हो रहा है। नवोन्मेष आउटसोर्सिंग के शुरुआती चरणों में, समूचा बैंकिंग उद्योग किसी एक या कुछ वेन्डर्स पर निर्भर कर रहा है, जिसके प्रणालीगत जोखिम हो सकते हैं। बैंकों को इन जोखिमों का सावधानीपूर्वक प्रबन्धन करना है जिसमें, *अन्य बातों के साथ* ये शामिल हो सकते हैं - सुपरिभाषित संविदात्मक व्यवस्थाएं, समुचित परिश्रमशीलता के स्टैण्डर्ड्स, एक्सपोज़र मॉनीटरिंग, नकदी तथा अन्य सीमाएं, एजेंटों/बिजिनेस कोरेस्पोन्डेन्ट्स की रेटिंग, आवधिक लेखा-परीक्षा, निरीक्षण इत्यादि, तथा परिचालनात्मक और वित्तीय जोखिमों के प्रबन्धन के लिए सूचना संचार तथा टेक्नोलोजी (आइसीटी) का प्रयोग। इसके अतिरिक्त उपयुक्त हर्जाना संरचनाओं के डिज़ाइन जिनमें कार्यनिष्पादन आधारित फीचर्ज़ भी शामिल हों, से एजेन्टों को न केवल समुचित फीस ही सुनिश्चित होगी बल्कि एजेन्टों द्वारा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन भी सुनिश्चित होंगे।

27. छठा, विशिष्टीकृत गैर-बैंकिंग संस्थाओं (जैसे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआइ), जो कि केवल कम आय वर्ग के लोगों की ज़रूरतों को ही पूरा करती हैं, के कारोबारी मॉडल से भी जोखिम पैदा हो सकते हैं। इन संस्थाओं के समक्ष घनत्व तथा फंडिंग के जोखिम आते हैं जो कि समूची प्रणाली के जोखिमों में योगदान देते हैं जैसा कि हाल ही में आंध्रप्रदेश के अनुभवों से प्रकट हुआ है। कम आय वर्ग के लोगों को सेवाएं प्रदान करने में वाणिज्य बैंकों की अधिक सहभागिता तथा कम आय वर्ग वाले लोगों को सेवाएं देने वाली संस्थाओं की अधिक सहभागिता से इन जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है।

28. अंत में, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वित्तीय समावेशन का कार्य प्रायः कम लागत वाले डिलीवरी चैनलों, अभिनव उत्पादों तथा आउटसोर्सिंग एजेन्सियों के माध्यम से किया जा रहा है। इन सब कार्यों के साथ-साथ इनके जोखिम भी आते हैं जो कि वत्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, दबाव के समय वित्तीय नवोन्मेष मौद्रिक नीति के संचार को और जटिल बना देता है। किसी भी हालत में वित्तीय स्थिरता के दौरान, वित्तीय नवोन्मेषों के परिणामों का पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है जिसके कारण पहले से ही अनिश्चित हो चुके आर्थिक पर्यावरण में अनिश्चितता और भी बढ़ जाती है।

वित्तीय स्थिरता के साथ वित्तीय समावेशन : वित्तीय विनियमन तथा साक्षरता और ग्राहक सुरक्षा

29. अब मैं शीघ्रता से, अब तक हुई चर्चा का सारांश प्रस्तुत करता हूँ। यह तो स्पष्ट है कि वित्तीय समावेशन की कुछ पोटेन्शियल लागतें होती हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण लाभ भी होते हैं जो उठान और गिरान के चक्रों, तथा वत्तीय संकटों की अवधियों में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसका अंतिम परिणाम होता है - एक अधिक गहरी अधिक विविधीकृत तथा सुनम्य (रेज़िलिएन्ट) वित्तीय प्रणाली, एक स्वस्थ कार्पोरेट तथा घरेलू क्षेत्र, जो वित्तीय स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। वित्तीय समावेशन से वित्तीय संस्थाओं को खतरे हैं । तथापि इसके खास सबूत नहीं हैं कि ये जोखिम काफी हद तक प्रणालीगत हैं। इसके विपरीत कम आय वर्गवाले बचतकर्ता तथा उधारकर्ता, अन्य घटकों के ग्राहकों की तुलना में, वित्तीय संकट के दौरान, अधिक कन्सिस्टेन्ट वित्तीय व्यवहार बनाए रखते हैं। इस सीमा तक ये लोग वित्तीय संस्थाओं की सुनम्यता (रेज़िलिएन्स) में योगदान देते हैं। कैसी भी स्थिति हो, सांस्थानिक स्तर पर विद्यमान जोखिमों का, ज्ञात विनियामक तथा प्रूडेन्शियल टूल्ज़, अधिक वित्तीय जागरूकता तथा साक्षरता एवं अधिक प्रभावी ग्राहक सुरक्षा विधियों से प्रबन्धन किया जा सकता है।

30. जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही उल्लेख किया था, अधिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करना, तथा वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना - ये दोनों ही अब पूरक नीतिगत बाध्यताएं हैं। चुनौती, दोनों को ही सुनिश्चित करने तथा दो नीतिगत उद्देश्यों का संगम कराने की है, और इसका रास्ता, ऐसी विनियामक और पर्यवेक्षकीय व्यवस्था निर्मित करना है जो यह सुनिश्चित करे कि औपचारिक वित्तीय प्रणाली, अनावेशित जनसंख्या को, अफोर्डेबल वित्तीय सेवाएं, अधिक क्षमता से प्रदान करती हैं तथा सुरक्षा और मज़बूती के स्वीकार्य स्तरों से कोई समझौता नहीं करती। इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका 'क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरोज़' द्वारा निभाई जा सकती है जो व्यक्तिगत

[9] ग्रामीण ऋण तथा सूक्ष्म वित्त से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए गठित आंतरिक दल की रिपोर्ट (अध्यक्ष : श्री एच.आर.खान) भारतीय रिज़र्व बैंक, जुलाई, 2005 (खान कमेटी)

उधारकर्ताओं हेतु सभी बकाया ऋणों की जानकारी के लिए डाटाबेस प्रदान करती हैं तथा 'बहु-ऋण-वितरण' और 'अति-उधार'[10] (ओवर बोरोइंग) को रोकने में मदद करती हैं। इसके साथ ही एक ऐसा विनियामक पर्यावरण भी आवश्यक है जो ऐसे नए कारोबारों के प्रोत्साहन को सुगम बनाए जिनकी ऐसी विशिष्ट जोखिम प्रोफाइल्ज़ हों जिनका योगदान "प्रणालीगत जोखिमों" (सिस्टेमिक रिस्क्स) में अपेक्षाकृत कम हो।

31. प्रभावी उपभोक्ता सुरक्षा नीति फ्रेमवर्क भी किसी विनियामक पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है जो संस्थाओं और वित्तीय प्रणाली की मज़बूती और रेजीलिएन्स को बढ़ाने के साथ-साथ, वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने की ओर भी लक्ष्यित होता है। समूचे फ्रेमवर्क को प्रभावी बनाने के लिए अधिक वित्तीय साक्षरता तथा जागरूकता बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। विदेशों में ऐसे बहुत से अनुभव हुए जो एक सुगमकारी विनियामक फ्रेमवर्क जो उपभोक्ता सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा जोखिम कम करने की दृष्टि से विशेष संगत हो, के ज़रिये, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का सत्यापन करते हैं। मैं यहां संक्षेप में कुछ ऐसे अनुभव बताना चाहूंगा जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में, एक पहुंच योग्य तथा स्थिर वित्तीय क्षेत्र पर्यावरण को मदद की है:

क) ब्राजील में, बैंकों तथा थर्ड पार्टी एजेन्टों के बीच पार्टनरशिप लाकर यूनिवर्सल पहुंच प्राप्त करने के लिए नए विनियामक उपाय किये गये हैं। ब्राज़ील एजेन्ट बैंकिंग में अग्रणी रहा है ओर उसने बिना बैंक खातेवाले ब्राज़िलियन लोगों को कल्याण अनुदान बांटने के लिए, बड़े पैमाने पर 'बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेन्ट्स' की शुरुआत की थी। निरीक्षण वित्तीय संस्था पर केन्द्रित होता है और केन्द्रीय बैंक एजेंटों से संबंधी, सब आंकड़ों तक, अपनी पहुंच बना कर रखता है और साथ ही वित्तीय संस्था को भी स्वतंत्रता देता है कि वह अपनी शर्त्तों पर एजेन्टों से संबंध बनाए।

ख) कीनिया और फिलीपीन्स, जहां मोबाइल फोन भुगतान योजनाओं को सपोर्ट करने में केन्द्रीय बैंकों की प्रमुख भूमिका थी और वहां उन्होंने मोबाइल फोन ऑपरेटरों को विनियामक स्पेस की भी अनुमति प्रदान की। कीनिया में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर 'सफारीकॉम' द्वारा पेश की गई ई-मनी ट्रांसफर सर्विस "एम-पीसा" ने अब तक काफी महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।

ग) 2004 में फिलीपीन्स ने पहली बार, किसी विकासशील देश में सफल मोबाइल भुगतान सेवा की शुरुआत की। जैसे ही बाज़ार नवोन्मेष और लर्निंग ने विनियामकों की जरूरतों को संतुष्ट किया वैसे ही विधिक सुनिश्चितता प्रदान करने तथा नए लोगों के लिए लेवल प्लेयिंग फील्ड की अनुमति देने के लिए, विनियम बनाया गया और उसे लागू किया गया।

घ) बोलीविया और यूगान्डा ने भी प्रदर्शित किया कि समय पर उपयुक्त नीतियां बनाकर, विनियमित वित्तीय प्रणाली में 'माइक्रोडिपॉज़िट टेकिंग' सफल हो सकती है। विनियामकों ने लाइसेंस के जरिए कानूनी रास्ता बनाकर औपचारिक प्रणाली में अलामेच्छु नवोन्मेषकों को शामिल किया हैं पहले जो एन.जी.ओ. अविनियमित थे विशेषकर उनके लिए नए कानून बनाए गए, जिनसे वे अपना अलाभेच्छु दर्ज़ा बनाए रख पाएंगे तथा डिपाज़िट्स ले पाएंगे और अतिरिक्त वित्तीय सेवाएं प्रदान कर पाएंगे।

ङ) इंडोनेशिया ने यह सिद्ध किया कि कैसे सरकारी स्वामित्व की वित्तीय संस्थाएं, देहाती इलाकों में, आर्थिक विकास के पीछे की ताकत बन सकती हैं। सरकारी स्वामित्व का विकास बैंक, बैंक राक्यात इंडोनेशिया (बीआरआई), जो कि माइक्रोफाइनेन्स का विशेषज्ञ है, वह इंडोनेशिया में ग्रामीण वित्तीय सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। जब एशियाई वित्तीय संकट के दौरान इंडोनेशिया की बैंकिंग प्रणाली बिखर गई थी तब भी बीआरआई की सूक्ष्म बैंकिंग डिवीज़न अपेक्षाकृत लाभ में बनी रही थी[11]।

33. तथापि यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन सभी अनुभवों को उन देशों के विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में ही मूल्यांकित करने की जरूरत है और यदि इन्हें दूसरे अधिकार क्षेत्रों में चलाने का विचार है तो सतर्कता रखने की जरूरत है। शिक्षा यह मिलती है, कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं आधारभूत वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए किए जा रहे प्रयास स्वयं ही जोखिम या धोखाधड़ी का स्रोत न बन जाएं, विवेकाधीन विनियमों को इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विवेकाधीन (प्रूडेन्शियल) विनियम, जो एक ओर तो वंचित लोगों को बुनियादी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं की मज़बूती को सुनिश्चित करते हैं, तथा दूसरी ओर मज़बूत उपभोक्ता सुरक्षा दिशा-निर्देश लागू करते हैं उनसे इन

[10] एमएफआई क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं के अध्ययन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मण्डल की उप समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष : श्री वाई.एच.मालेगाम), जनवरी 2011 (मालेगाम कमेटी)।

[11] हार्पर, मॉल्कम एण्ड एस.एस.अपोरा (2005), *"स्मॉल कस्टमर्स, बिग मार्केट : कमर्शियल बैंक इन माइक्रो फाइनेन्स"*, एडीबीआई बैंकिंग पेपर, सीरीज़ सं.259।

प्रयासों में, लोगों का भरोसा बढ़ता है तथा अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित होता है।

34. यदि विनियमों को वित्तीय समावेशन बढ़ाना है तो उन्हें जोखिमों का भी सामना करना पड़ेगा। हाल के एक बीआइएस पेपर[12] में वित्तीय स्थिरता हेतु वित्तीय नवोन्मेषों के विनियमन की जरूरत पर बल दिया गया है और उन्हें प्रत्येक भिन्न सेवा, नवोन्मेष की प्रकृति, और जोखिमों के साथ जोड़ने की बात कही गई है। समूचे वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रणालीगत जोखिमों में उनके अंशदान के अनुसार बुनियादी वित्तीय सेवाओं हेतु विनियामक फ्रेमवर्क के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि वित्तीय विनियमन कहीं स्वयं ही अनावेशन का एक कारण न बन जाए।

भारतीय अनुभव

35. अब मैं वित्तीय स्थिरता तथा वित्तीय समावेशन से संबंधित भारतीय अनुभव का संक्षेप में वर्णन करूंगा:

36. अपनी संविधि के अनुसार, वित्तीय स्थिरता, भारतीय रिज़र्व का अधिदेश नहीं है, फिर भी अपनी नीति निर्माण प्रक्रिया में रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता का सदा ध्यान रखता है। 1990 के भुगतान संतुलन संकट से लेकर अब तक, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। 2004 से मूल्य स्थिरता तथा समावेशित वृद्धि के साथ-साथ, वित्तीय स्थिरता को भी भारतीय रिज़र्व बैंक के नीति उद्देश्यों में जोड़ा गया है और अभी हाल ही से तो, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय स्थिरता का पीछा, काफी विशेष रूप से कर रहा है और उसने अर्थव्यवस्था की निरंतर मैक्रोप्रूडेन्शियल दूरस्थ निगरानी के लिए एक 'वित्तीय स्थिरता इकाई' भी बनाई है।

37. भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत पहले से 'वित्तीय समावेशन' एक प्रमुख नीतिगत उद्देश्य रहा है, हालांकि, 'वित्तीय समावेशन' नामक यह पारिभाषिक शब्द हाल ही में उभर कर आया है। असल में रिज़र्व बैंक संसार का इकलौता ऐसा केन्द्रीय बैंक है जो जागरूकता पैदा करने, और समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु, देश के एकदम दूरदराज़ के इलाकों तक पहुंचने के भी प्रयास करता है। भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करना हमारी विनियम व्यवस्था में भी है। हमारे यहां वित्तीय समावेशन का कार्य अधिकांशतः बैंक करते हैं और भारतीय प्ररिप्रेक्ष्य में बैंक विनियमित हैं और निरीक्षण के अधीन आने वाली संस्थाएं हैं। वित्तीय समावेशन के कार्य को सुगम बनाने में लगी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भी अधिकांशतः विनियमित हैं तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (एमएफआई) के लिए भी विनियामक फ्रेमवर्क विचाराधीन है[13]। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय समावेशन का कार्य तेज़ी पकड़ने के बावजूद वित्तीय संस्थाओं के स्वास्थ्य, और रेज़ीलिएन्स संबंधी बाध्यताओं, तथा वित्तीय स्थिरता से नज़र हटी नहीं है। यहां यह जानना भी महत्त्वपूर्ण है कि हाल ही में स्थापित 'वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद' (एफएसडीसी) जो कि देश में वित्तीय स्थिरता से संबंधित शीर्ष स्तर की अंतर्सांस्थानिक संस्था है, उसके उद्देश्यों में वित्तीय समावेशन भी शामिल है।

38. देश में अधिक वित्तीय पहुंच को प्रोत्साहित करने की नींव, पचास के दशक के प्रारंभ में, 'अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण' के निष्कर्षों द्वारा ही डाल दी गई थी। सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने इंगित किया कि 1951-52 में किसानों ने लगभग 7.5 बिलियन रुपए उधार लिए जिनमें से वाणिज्य बैंकों ने केवल 1 प्रतिशत उधार दिए जबकि मनीलेन्डर्स ने 70 प्रतिशत का योगदान दिया। बैंक शाखाओं का वितरण भी, 1969 में अधिकतर शहरी और महानगरीय/पोर्ट केन्द्रों में रहा। यहां तक कि बैंक क्रेडिट के वितरण के संदर्भ में भी प्राइवेट कार्पोरेट बिज़नेस के हिस्से ने काफी ज़बरदस्त वृद्धि दिखाई और यह 1957-61 के दौरान के 44 प्रतिशत से बढ़कर 1969 को समाप्त हुई पंचवर्षीय अवधि के अंत में, 60 प्रतिशत पहुंच गया।[14]

39. सर्वेक्षण से, जो ये चिंता के बिन्दु उभरे, उनकी परिणति, सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण में हुई जिसका उद्देश्य था सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करना। इन उद्देश्यों में समावेशन भी एक था। इस दिशा में जो प्रयास किए गए उनमें यह शर्त भी थी कि बैंक एक या दो शाखाओं वाली किसी जगह पर तभी नई शाखा खोल पाएंगे जबकि उन्होंने ऐसी जगह पर चार शाखाएं खोली हैं जहां पहले कोई बैंक शाखा नहीं थी या एकदम कम शाखाएं थीं। हालांकि, उदारीकरण के चलते, भारतीय रिज़र्व बैंक की ब्रांच लाइसेन्सिंग की नीति में भारी बदलाव आया है फिर भी नीति का आधार आज भी वही है, कि बैंकों को, अधिकाधिक शाखाएं, देश के ऐसे क्षेत्रों में खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए

[12] डिट्टस, पीटर एण्ड माइकल क्लीन (2011), *''ऑन हार्नेसिंग द पोटेन्शियल ऑफ फाइनेन्शियल इन्क्लूजन, बीआईएस''*, मई 2011

[13] 2 दिसम्बर 2011 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें एनबीएफसी का एक नया वर्ग बनाया गया है - ''गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्था'' परिपत्र के साथ एनबीएफसी - एमएफआई के लिए भी विनियामक निदेश जारी किए गए हैं।

[14] फाइनेन्शियल इन्क्लूज़न एंड फाइनेन्शियन फ्रैजिलिटी : एन एंपिरिकल नोट, एस. घोष, 2008।

जहां कि पहले से बैंक शाखाएं नहीं है और इसे शाखाएं खोलने के विनियामक फ्रेमवर्क से जोड़ा जाए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंक रहित क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की बात कही गई है। कई भारतीय बैंकों के व्यापक शाखा नेटवर्क ने आज ऐसे बैंकों के लिए एक मजबूत और स्थिर डिपॉज़िट आधार निर्मित कर दिया है जिसे कि आज किसी भी वित्तीय अस्थिरता की आंधी के समक्ष, मजबूती से खड़ा रहने का एक महत्त्वपूर्ण तत्व माना जा रहा है।

40. अधिदेशित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण (घरेलू बैंकों के लिए ऋण वितरण का 40 प्रतिशत तथा विदेशी बैंकों के लिए 32 प्रतिशत) एक अन्य नीतिगत पहल थी जिसका उद्देश्य था कमज़ोर वर्गों और घटकों के लिए किफायती दरों पर कर्ज का प्रवाह सुनिश्चित करना। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले कर्ज़ में 'ब्याज-सब्वेन्शन' नहीं है (केवल ऋणों के नगण्य प्रतिशत को छोड़कर जो कि विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अत्यन्त निर्धन लोगों को दिए जाते हैं तथा कृषि ऋणों के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए ब्याज सब्वेन्शन को छोड़कर)। पूंजी पर्याप्तता, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानन के मानदण्ड, इस प्रकार के ऋण वितरण पर भी लागू किए गए जिनका अर्थ यह है कि वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करते समय भी, क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को बनाए रखा जाए तथा संस्थाओं की मज़बूती से समझौता न किया जाए।

41. निर्धन वर्ग तथा अल्प सुविधाओं वाले वर्ग के लाभ के लिए 2005 में सुविधा रहित खाते शुरु किए गए जिनमें शून्य या न्यूनतम बैलेन्स ही रखना होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन लोगों का जिनके पास पते या पहचान का कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं है, उन्हें बैंक सुविधाओं से वंचित न रखा जाय तथा साथ ही प्रत्येक ग्राहक की सही पहचान करने की न्यूनतम अपेक्षा का भी पालन हो जाए। इस वर्ग के लोगों के लिए आसान केवाइसी मानदण्ड शुरु किए गए। "युनीक आइडेन्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीए)" द्वारा हाल ही में शुरू की गई 'आधार' परियोजना, सभी निवासियों के लिए पहचान का स्पष्ट साक्ष्य प्रदान कर, प्रचलित विनियमों की परिधि के अन्दर, अल्पसुविधा प्राप्त नागरिकों के, बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश का रास्ता खोल देगी।

42. इस तथ्य को मानते हुए कि देश के 6,00,000 गाँवों के परिवारों को बैंक शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना बहुत कठिन होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने खान समिति की सिफारिशों के आधार पर 2006 में (बिज़नेस कॉरेस्पोन्डेन्ट्स/बिज़नेस फेसिलिटेटर मॉडल) के जरिए, "शाखा-रहित-बैंकिंग" का रास्ता खोला; इसलिए कमीशन कमाने के लिए, कार्यरत एजेन्टों द्वारा उत्पादों की अंधाधुंध बिक्री के जोखिम से बचने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से, ग्राहकों की बायोमीट्रिक पहचान, एजेन्टों की नियुक्ति, और उनके कार्य संबंधी निदेशों, आधार ब्रांच में दूरी के मानदण्ड के निर्धारण, ग्राहकीय लेनदेनों का उसी दिन अथवा अगले दिन लेखाकरण (एकाउन्टिंग), तथा गतिविधियों की आउटसोर्सिंग हेतु जोखिम न्यूनीकरण मानकों के अनुपालन के रूप में सुरक्षोपाय लागू किए गए हैं।

43. पर्याप्त सुरक्षोपायों के साथ ग्राहकों को कस्टमाइज़्ड भुगतान करने तथा धनप्रेषण सेवाएं प्रस्तुत करने में मुख्यतः बैंकों की मदद करने के लिए अंशशोधित (केलिब्रेटिड) रीति से गैर बैंकिंग तथा गैर वित्तीय एन्टिटीज़ को वित्तीय समावेशन की अनुमति दी गई है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की अधिसूचना के पश्चात् गैर-बैंकिंग प्रणाली द्वारा, परिचालित भुगतान सेवाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अधीन लाया गया और इसके पीछे मुख्य दृष्टिकोण यह है कि ये संस्थाएं, ग्राहक निधियों तक पहुंच बनाए बिना, शुल्क आधारित सेवाएं प्रदान करेंगी (उदाहरणार्थ बैंक के पास एस्क्रो खाते के तंत्र के जरिए गैर-बैंकों द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल वालेट्स)।

44. 1990 के दशक में प्रारंभ किए गए स्वयं-सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम से भी औपचारिक वित्त क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र, के बीच, संगम निर्मित करने में जबरदस्त मदद मिली। गरीब परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य पूंजी पर्याप्तता तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और अन्य संस्थाओं पर लागू अन्य विवेकाधीन मानदण्डों में छूट दिए बिना ही प्राप्त कर लिया गया।

45. वित्तीय समावेशन का अभियान, भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति की कार्यसूची में सर्वोच्च स्थान पर रहने के बावजूद, उपभोक्ता सुरक्षा का मुद्दा सदा आगे बना रहा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों के साथ "फेयर ट्रीटमेन्ट" के लिए एक व्यापक आचार संहिता बने और इस संहिता के बैंकों द्वारा अनुपालन की निगरानी निरंतर आधार पर होती रहे, रिज़र्व बैंक ने 2005 में "भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड" की स्थापना को सुगम बनाया। हाल के प्रयासों में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं द्वारा, गैर-पारदर्शी तरीकों तथा प्रश्नचिन्ह लगने योग्य रीतियों/व्यवहारों तथा जबरदस्ती वसूली करने के द्वारा, अत्यधिक/सूदखोरी ब्याज दरें प्रभारित करने संबंधी रिपोर्टों पर ध्यान

केन्द्रित किया गया है। सूविसंस्थाओं की ओर लक्ष्यित एक विनियामक फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक में विचार विमर्श चल रहा है और शीघ्र ही इसे जारी कर दिया जाएगा।[15] हालांकि शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच के रूप में बैंकिंग लोकपाल प्रणाली स्थापित की जा चुकी है फिर भी बैंक सुविधा रहित व जानकारी न रखने वाले लोगों को शिक्षित करने के लिए, एक व्यापक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम बनाया गया है ताकि वित्तीय सेवाओं तक बढ़ती पहुंच का सर्वोत्तम लाभ लिया जा सके। वस्तुतः 2009-2010 में रिज़र्व बैंक की प्लेटीनम जुबिली का कॉर्नर स्टोन था "आउटरीच प्रोग्राम" जिसका लक्ष्य था कम आय वर्ग वाले समूहों, खास कर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं मांगने के लिए शिक्षित करना, और बैंकों को प्रोत्साहित करना कि वे गरीबों द्वारा मांगी गई वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति करें। प्लैटिनम जुबिली वर्ष पूरा होने के बाद भी यह प्रयास अभी भी निरंतर जारी है।

46. वित्तीय समावेशन के अभियान से संबंधित हाल की नीतिगत पहलों, जिनमें बैंकों द्वारा बोर्ड अनुमोदित वित्तीय समावेशन नीति (एफआईसी) बनाना भी शामिल है, का आशय यही है कि वित्तीय समावेशन, वित्तीय संस्थाओं की मज़बूती तथा वित्तीय प्रणाली की अपेक्षाओं के बीच एक संतुलन कायम किया जाए।

47. मालेगाम समिति ने अत्यधिक ब्याज लेने, ओवर-बोरोइंग, छद्म उधारकर्ताओं तथा सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र में वसूली के लिए सख्त हथकंडे अपनाने की रिपोर्टों के बारे में कई सिफारिशें की हैं। इनमें से कुछ सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं और यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगी कि अधिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में उद्योग एक सुगमकारी भूमिका निरन्तर निभाता रहे[16]।

48. वित्तीय समावेशन के समक्ष खड़ी भौगोलिक चुनौतियों के संभावित समाधान के रूप में, शाखारहित बैंकिंग के 'बिज़िनेस कोरेस्पोन्डेन्ट'। बिजिनेस फैसिलिटेटर (बीसी/बीएफ) मॉडल शुरू किए गए हैं। इन मॉडलों की सफलता के लिए यह परिकल्पित किया गया है कि सिस्टम को साध्य तथा फूलप्रूफ बनाने के लिए काफी बड़े पैमाने पर उपयुक्त टेक्नोलॉजी को अपनाने की ज़रूरत है। यह सुझाते हुए कि बैंकिंग आउटरीच के फैलाव के लिए वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों को एक्सप्लोर करने और उन्हें अपनाने की ज़रूरत है रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे बैंक रहित गांवों में 'ब्रिक एवं मोर्टार' स्ट्रक्चर्ज़ पर से अपना ध्यान न हटाएं। 2-3 कि.मी. की तर्क संगत दूरी पर 8-10 बिज़ि. कॉरेस्पांडेंट्स को मदद देने तथा ग्राहकों के लेनदेनों को ऑपरेट करने के लिए, ये स्ट्रक्चर्स, सादी और कम लागत वाली 'मध्यवर्ती' एन्टीटीज़ साबित हो सकती हैं, जिनमें न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर लगा है। इससे नगद प्रबंधन दस्तावेज़ीकरण तथा ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में क्षमता आएगी। ये बीसी/बीएफ के परिचालनों पर निगरानी के लिए एक तंत्र की भूमिका निभाएंगी। बैंकों को एक अन्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण पहलू के बारे में भी समझाया जा रहा है कि यदि बीसी/बीएफ मॉडल को सफल होना है तो एजेन्टों को, जो कि ग्राहकों से संपर्क के पहले व्यक्ति हैं, उन्हें अच्छा कम्पेन्सेशन दिया जाए ताकि वे अपने कार्य को ठीक ठाक कमाई का एक कारोबारी अवसर जानें और अनैतिक रास्ते न अपनाएं।

49. देश में लिए गए व्यापक नीतिगत फैसलों से काफी लाभ मिले हैं और लोगों को वित्तीय प्रणालियों के और नज़दीक लाने के कार्य में ज़बरदस्त प्रगति हुई है। 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 50,000 से भी अधिक गांवों को बैंकिंग सेवाओं के अन्तर्गत ले आया गया है और मार्च 2011 तक लगभग 75 मिलियन "नो फ्रिल्ज़ खाते" खोले जा चुके हैं। हाल में रिज़र्व बैंक के वर्किंग पेपर[17] में, देश हेतु वित्तीय समावेशन के उपाय के रूप में एक वित्तीय समावेशन इन्डेक्स आइएफआई तैयार किया है जिसमें वित्तीय समावेशन के तीन आयामों अर्थात बैंकिंग पेनेट्रेशन बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता तथा प्रयोग के आँकड़े लिए गए हैं। 2006-2007 से 2009-10 के डाटा के आधार पर पेपर ने अधिकांश भारतीय राज्यों को कम वित्तीय समावेशन स्तर वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया है। अनुभवजन्य साक्ष्यों से भी इन निष्कर्षों की पुष्टि हुई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के केवल 57 प्रतिशत के पास कोई बैंक खाता है तथा 6,00,000 गांवों में से केवल 30,000 गांवों में किसी वाणिज्यिक बैंक की शाखा है। इसके विपरीत यू.के. में केवल 3 प्रतिशत परिवार ही बिना बैंक सुविधा के हैं। 2000 में स्वीडन में वयस्क जनसंख्या के केवल 2 से भी कम प्रतिशत के पास कोई खाता नहीं था, जर्मनी में यह प्रतिशत लगभग 3 था और कनाडा में वयस्कों के 4 से भी कम प्रतिशत के पास तथा बेल्जियम में पांच से भी कम प्रतिशत के पास खाता नहीं था। अतः स्थिरता के साथ समावेशित वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। खासकर हमें इस बात पर से ध्यान नहीं हटाना चाहिए कि वित्तीय समावेशन आर्थिक समावेशन की ही

[15] पाद टिप्पणी 11 देखें

[16] पाद टिप्पणी 4 देखें

[17] चट्टोपाध्याय एस.के. (2011) भारत में वित्तीय समावेशन, आरबीआइ वर्किंग पेपर सीरीज सं.8

वृहत् अवधारणा का एक भाग है और वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों के प्रति तेज़ प्रयास करने के साथ-साथ हमें जोखिम दूर करने के उपायों को भी साथ में लागू करना होगा ताकि आने वाले समय में ये प्रयास साध्य और टिकाऊ साबित हों।

निष्कर्ष

50. अब मैं निष्कर्ष स्वरूप अपनी कुछ अंतिम टिप्पणियों पर आता हूँ।

51. वित्तीय समावेशन, समावेशित वृद्धि की कुंजी है जिसका उद्देश्य है - गरीबों अल्प सुविधा प्राप्त लोगों तथा कम आय/कुशल ग्रामीण/शहरी परिवारों का सशक्तिकरण। अमर्त्य सेन[18] ने सही कहा है[18] कि गरीबी केवल मात्र अपर्याप्त आय ही नहीं है बल्कि आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों में सहभागिता करने की योग्यता और क्षमता का अभाव है जिसमें सुरक्षा भी शामिल है। वित्तीय समावेशन को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि समान अवसर निर्मित करके आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित लोगों में सामाजिक/आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने और योगदान देने की क्षमता पैदा की जाय।

52. टिकाऊ वित्तीय समावेशन लाने के लिए प्रणालीबद्ध प्रयास की ज़रूरत होगी जिसमें टेक्नॉलोजी साध्य कारोबारी मॉडलों तथा उपयुक्त विनियामक फ्रेमवर्क का संगुंफित रूप से प्रयोग किया गया हो। हालांकि ट्रांसमिशन चैनलों तथा वित्तीय स्थिरता और वित्तीय पहुंच के बीच, संभावित फीड बैक लूप्स को, बेहतर रूप से समझने के लिए, और अनुसंधान की ज़रूरत पड़ेगी तथा टिकाऊ तरीके से दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन बैठाने के लिए नीतिगत समाधान खोजने होंगे। परन्तु यह तो सिद्ध है कि वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता को सहजीवी होना पड़ेगा। भारतीय अनुभवों ने सिद्ध कर दिया है कि एक अच्छे विनियामक पर्यावरण में, वित्तीय समावेशन, वित्तीय स्थिरता के फ्रेमवर्क के भीतर कार्य कर सकता है। इन अनुभवों का साक्ष्य हमें अन्य देशों से भी मिला है जिनका जिक्र मैंने पहले किया है। पिरामिड के तल में जनता की ओर लक्ष्यित, व्यवहार्य कारोबारी कार्यनीतियों, प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों सहित कम-लेन-देन लागतों, तथा उपयुक्त विनियामक वातावरण में, स्थिरता के साथ वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में मदद की है। वित्तीय स्थिरता और वित्तीय समावेशन के ये दो उद्देश्य, निश्चय ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। परन्तु यह भी निश्चित है कि हमें एक मज़बूत जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क अपनाना होगा जो उनके पूरक तत्वों को आगे लाए और टकरावों को कम करे ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे एक दूसरे के समाने न आ खड़े हों।

[18] सेन अमर्त्य, (2000) : *'डेवलपमेन्ट एज फ्रीडम'*, एन्कर बुक्स, न्यूयॉर्क, 2000